प्रेषक,

भूपेन्द्र प्रताप
अपर जनपद न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
जनपद सहारनपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिदेशक/अभियोजन
शालीमार टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

द्वारा– माननीय जनपद न्यायाधीश
जनपद सहारनपुर।

विषय –प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, मुजफ्फरनगर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ।

– – – – – – –

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में जनपद सहारनपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है तथा प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह, जनपद मुजफ्फरनगर में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के पद पर तैनात हैं। प्रार्थी की नियुक्ति जनपद सहारनपुर में होने के आधार पर ही प्रार्थी की पत्नी का स्थानान्तरण जनपद देवरिया से जनपद सहारनपुर के निकटस्थ जनपद मुजफ्फरनगर किया गया था। वर्तमान में प्रार्थी के दोनों बच्चे जनपद सहारनपुर में ही पढ़ रहे हैं, जिस आधार पर प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह के द्वारा अपना स्थानान्तरण जनपद सहारनपुर किए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दि0 23.03.2023 को प्रस्तुत किया गया था। किन्तु प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह का स्थानान्तरण जनपद सहारनपुर के स्थान पर खाद्य प्रकोष्ठ, जनपद लखनऊ में कर दिया गया है, जो जनपद सहारनपुर से लगभग 600 किमी0 की दूरी पर है। इतनी दूर रहकर प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह बच्चों की किसी प्रकार की कोई देखभाल नहीं कर सकेंगी तथा प्रार्थी के द्वारा अकेले बच्चों की सम्यक देखभाल किया जाना सम्भव नहीं है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल प्रार्थी के बच्चों पर होगा, बल्कि प्रार्थी के द्वारा न्यायिक कार्य का निष्पादन भी पूर्ण निश्चिंतता से किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी का स्थानान्तरण माह अप्रैल 2024 में होना है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मिड–टर्म स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जाता है जिस कारण प्रार्थी का स्थानान्तरण माह अप्रैल 2024 से पूर्व नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह का स्थानान्तरण आदेश माह अप्रैल 2024 तक के लिए रोककर उन्हें माह अप्रैल 2024 तक के लिए जनपद मुजफ्फरनगर में ही रोक दिया जावे, तथा यदि ऐसा सम्भव ना हो तो, प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह का स्थानान्तरण सहारनपुर या उसके आसपास के किसी जनपद में कर दिया जावे ताकि प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह अपने शासकीय कर्तव्यों के साथ–साथ अपने पारिवारिक कर्तव्यों का भी सम्यक रीति से निर्वहन कर सकें।

अतः माननीय महोदय से यह करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह का स्थानान्तरण आदेश माह अप्रैल 2024 तक के लिए रोककर उन्हें माह अप्रैल 2024 तक के लिए जनपद मुजफ्फरनगर में ही रोकने, तथा यदि ऐसा सम्भव ना हो तो, प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मीरा सिंह का स्थानान्तरण सहारनपुर या उसके आसपास के किसी जनपद में करने की महती कृपा करें, प्रार्थी आभारी रहेगा।

सम्मान सहित ।

दिनांक–01.06.2023

कार्यालय–जिला न्यायाधीश, सहारनपुर
पत्रांकः 1004 / I-2023 दिनांक 01-06-2023

भवदीय

01/06/2023

(भूपेन्द्र प्रताप)
अपर जनपद न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
जनपद सहारनपुर।

अग्रसारित

जिला न्यायाधीश
सहारनपुर
01/6/23